(78) 65

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SEC.3(ii)
Pt. 27-9-69 at p. 4117

Government of India
Ministry of Home Affairs

New Delhi, the 17th September, 1969. 232

NOTIFICATION

S.O. 3848.- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the State Government under section 294A of the Indian Penal Code, 1860 (45 of 1860) shall also be exercised and discharged by the Administrators of the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Delhi, Himachal Pradesh, Manipur and Tripura, in relation to their respective Union territories.

[No.F.2/4/69-UTL]

(P. N. Kaul)
Deputy Secretary to the Government of India.

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1969

अधिसूचना

का0 आ0 3849 संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति स्तद द्वारा निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रण के अधीन रहते हुए और अगले आदेश होने तक, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 294 क के अधीन राज्य सरकार की शक्तियाँ और कृत्यों का प्रयोग और निर्वहन अंडमान और निकोबार द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों द्वारा भी, अपने-अपने संघ राज्यक्षेत्रों में, किया जाएगा।

(सं0 एफ0 2/4/69-यू0टी0एल0)

पी सन कौल
(पी0 एन0 कौल)
उप सचिव, भारत सरकार।

P.T.O.